

सलीम अंसारी

बनाम

श्रीकान्त भगत

-: आदेश :-

17/6/25

आवेदक सलीम अंसारी, पे0-स्व0 शमसुल हक अंसारी, सा0-माल मंडरो, थाना-ठाकुरगंगटी, अंचल-ठाकुरगंगटी, जिला-गोड्डा के द्वारा मौजा चमुआकोल, थाना नं0-235, बसौड़ी खाता नं0-17, दाग नं0-60, बसौड़ी पेज नं0-22, रकवा-00-08-12 धूर भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत आवेदन दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा उनके द्वारा दाखिल कारण-पृच्छा, कागजात एवं अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा चमुआकोल, थाना नं0-235, बसौड़ी खाता नं0-17, दाग नं0-60, बसौड़ी पेज नं0-22, कुल रकवा-00-08-12 धूर गत गेंजर सर्वे पर्चा में अब्दुल मियां, पे0-शाबादी मियां के नाम से दर्ज है। आवेदक जमाबंदी रैयत का परपोता है। विपक्षीगण के द्वारा उक्त भूमि को जबरन कब्जा कर लिया है। अंत में अनुरोध करते हैं कि उक्त भूमि से विपक्षीगण को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत उच्छेद कर आवेदक को दखल कब्जा दिलाया जाय।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान प्रक्रिया चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्रश्नगत भूमि बसौड़ी है। आवेदक के द्वारा वर्तमान वाद संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-20 एवं 42 के तहत प्रश्नगत भूमि से विपक्षी को उच्छेद करने हेतु दाखिल किया है, परंतु उक्त अधिनियम प्रश्नगत भूमि पर लागू नहीं होता है क्योंकि प्रश्नगत भूमि बसौड़ी है। प्रश्नगत भूमि मौजा चमुआकोल, थाना नं0-235, बसौड़ी खाता नं0-17, दाग नं0-60, बसौड़ी पेज नं0-22, कुल रकवा-00-08-12 धूर गत गेंजर सर्वे पर्चा में अब्दुल मियां, पे0-शाबादी मियां के नाम से दर्ज है। आवेदक ने अपने आवेदन में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि जमाबंदी रैयत के वंशज प्रश्नगत भूमि पर कब्जे से बाहर है, तथा आवेदक के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 के तहत दाखिल किया गया है जबकि प्रश्नगत भूमि बसौड़ी है जिसपर वर्तमान प्रक्रिया चल नहीं सकती है। यदि आवेदक को प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा चाहिए था तो आवेदक को व्यवहार न्यायालय में सक्षम प्रक्रिया के तहत वाद दायर करना चाहिए था। अंत में अनुरोध करते हैं कि वर्तमान प्रक्रिया समाप्त किया जाय।

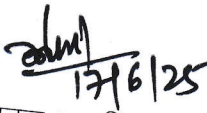
अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी ने अपने जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-189/रा0, दिनांक-30.09.2024 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा चमुआकोल, थाना नं0-235 के अंतर्गत बसौड़ी पेज नं0-22 के खाता सं0-17/1, दाग नं0-60 किस्म बाड़ी औवल सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत अब्दुल मियां वल्द शाहबेदी मियां कौम मोमिन बोलकर दर्ज है। द्वितीय पक्ष के श्रीकान्त भगत, पिता-नन्दकिशोर भगत वो संत कुमार भारती, पे0-नन्द

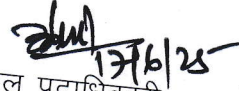


किशोर भगत के चाचा श्री युगल भगत, पे0-लखन भगत ने सेलडीड/विक्रय पत्र के माध्यम से सब रजिस्ट्री ऑफिस, गोड्डा जिला-संथाल परगना दुमका से केवाला डीड नं0-883/1960 दिनांक-12.04.1960 के माध्यम से क्रय किया है। युगल भगत की मृत्यु के बाद इनकी पुत्री लक्ष्मी देवी एवं भतीजे श्रीकांत भगत ने आपसी पारिवारिक बंटवारा के तहत प्रश्नगत भूमि पर दखलकार हैं। प्रश्नगत भूमि हस्तांतरणीय है। द्वितीय पक्ष के पूर्वजों ने निबंधित डीड के माध्यम से प्राप्त किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा चमुआकोल, थाना नं0-235 के अंतर्गत बसौड़ी पेज नं0-22 के खाता सं0-17/1, दाग नं0-60 किस्म बाड़ी औवल सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत अब्दुल मियां वल्द शाहबेदी मियां कौम मोमिन बोलकर दर्ज है। अंचल अधिकारी, ठाकुरगंगटी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि बसौड़ी है तथा हस्तांतरणीय है जिसे द्वितीय पक्ष के पूर्वजों ने विधिवत सेल डीड नं0-883/1960, के माध्यम से प्राप्त किया है। आवेदक के द्वारा दाखिल आवेदन संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत दाखिल किया गया है, किन्तु प्रासंगिक धारा बसौड़ी भूमि के वैध हस्तांतरण का निषेध नहीं करती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होकर आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है।
लिखाया एवं शुद्ध किया।


13/6/25
अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।


13/6/25
अनुमण्डल पदाधिकारी,
महागामा।